an>

Title: Regarding inclusion of Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Constitution.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बेतिया से लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर तक भोजपुरी बोलने वाले सभी लोग इसी 8 अगस्त को धरना देने जा रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है कि यह मामला बहुत बार लोक सभा में उठ चुका है। 14वीं लोक सभा में गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक इस बात का पालन नहीं किया गया है।

महोदया, भोजपुरी विश्व के 14 देशों में बोली जाती है। हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भाषा के बोलने वाले लोग नहीं हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी भोजपुरी में शपथ ली है। मोरीशस में मैं स्वयं गया था। वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी रात के 1 बजे तक भोजपुरी कार्यक्रम में बैठी रहीं, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल रहा है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि जंतर-मंतर और दूसरी जगहों पर धरना हो रहा है, इस धरने को रोकें और भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करें। आप देख सकती हैं कि दिल्ली से एक भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी सांसद हैं। इससे पता चलता है कि भोजपुरी भाषा कितनी पापुलर है। मेरा अनुरोध है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

HON. SPEAKER:

Shri Nishikant Dubey,

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Smt. Neelam Sonker,

Shri Rajendra Agrawal,

Shri Alok Sanjar,

Shri Ravindra Kumar Pandey,

Shri Uday Pratap Singh and

Ashwani Kumar Choubey are permitted to associate with the issue raised by Dr. Sanjay Jaiswal.